



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-73/2023-24

सरकार

बनाम्

विश्वनाथ साह

—: आदेश :—

दिनांक 28/2/24

विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विज्ञ सरकारी वकील को सुना।

मामला महागामा थाना काण्ड संख्या-218/2023 दिनांक-15.09.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-4725/अप0शा0 दिनांक-03.11.2023 से धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त हाईवा ट्रक निबंधन संख्या-JH04U-9205 तथा उस पर लदे स्टोन-चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा ट्रक निबंधन संख्या-JH04U-9205, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से स्टोन-चिप्स की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा ट्रक निबंधन संख्या-JH04U-9205, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त हाईवा ट्रक निबंधन संख्या-JH04U-9205, के मालिक संजीत कुमार, पिता-रामवृक्ष सिंह, सा0-ताजपुर, थाना-मराँची, जिला-पटना, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त हाईवा ट्रक निबंधन संख्या-JH04U-9205 एवं उस पर लदे

स्टोन-चिप्स के विरुद्ध धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

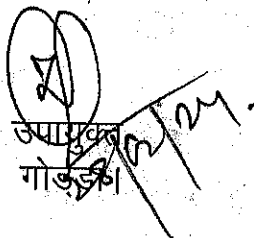
विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी अंतिम नोटिश के बाद भी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

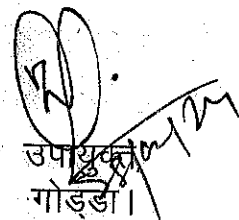
सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन-चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से स्टोन-चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के जप्त वाहन के विरुद्ध धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत सत्य पाया गया है एवं विपक्षी नोटिश देने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 के तहत जप्त वाहन हाईवा ट्रक निबंधन संख्या-JH04U-9205 एवं उस पर लदे स्टोन-चिप्स को झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 का नियम 11 (V) के तहत राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, महागामा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

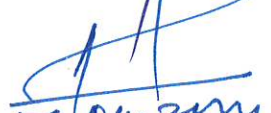
जिला विधि शाखा. गोंडा

जी.वी. सं 83 | विधि दिनांक 6/4/24
प्रतिलिपि: न. थागा प्रभारी. महागामा
को सूचना के सं आवश्यक करवाई
हेतु प्रेषित

2. जिला स्वतः पदाधिकारी. गोंडा को
सूचना के सं आवश्यक करवाई हेतु
प्रेषित

3. जिला परिवहन पदाधिकारी. गोंडा
को सूचना के सं आवश्यक करवाई
हेतु प्रेषित

4. प्रधान जिला के सन आचार्य
गोंडा को सूचना के समर्पित


06.04.2024
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोंडा
6/4/24